रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2019/वैशाख 19, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41

No. 90] DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2019/VAISAKHA 19, 1941 [N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मई, 2019

सं.फा. 21(80)/आरआर/प्रशि.प्रशा./जेडी/डीटीटीई/2017/352.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/परीक्षा नियंत्रक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/परीक्षा नियंत्रक भर्ती नियमावली, 2019 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएं** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)/परीक्षा नियंत्रक	* 01 (2019) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	'क' वर्ग सामान्य केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, अलिपिकीय	स्तर —12 (78,800 —2,09,200/—रुपये)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यता ।	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति :** ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर —11 (67,700 — 2,08,700/—रुपये) में कार्यरत प्रशिक्षण विंग के सहायक निदेशक /प्रधानाचार्य (आईटीआई/बीटीसी)/सहायक प्रशिक्षु सलाहकार में से पदोन्नति । **नोट** — 1 जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो (इनमें से जो भी कम हो) और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ

				सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13
'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) : 1. अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2.मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दि.स. – सदस्य 3.सचिव,प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,रा.रा.क्षे.दि.स. –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शिव प्रताप सिंह, सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 9nd May, 2019

F.No. 21(80)/RR/TRG.ADMN./JD/DTTE/2017/352.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby in consultation with Union Public Service Commission makes rules regulating the method of Recruitment to the post of Joint Director (Training)/Controller of Exams in Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely.-

1. **Short title and commencement**.- (i) These rules may be called the Joint Director (Training)/Controller of Exams, Department of Training and Technical Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Recruitment Rules -2019.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and Level in the Pay Matrix**.- The number of said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc**.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be specified in the columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.- No Person,-**

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for the appointment to the said post;

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.-** Where the Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste , the Scheduled Tribes, ex –Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director (Training)/Controller of Exams	01* (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group – "A", Gazetted, Non-Ministerial	Level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200)	Selection

Age limits for direct Recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of Recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a DPC exists , what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion	**Promotion :** From amongst Assistant Director/ Principal (ITI/BTC)/Assistant Apprenticeship Adviser of Training Wing working in Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the Pay Matrix with five years' regular service in the grade . **Note 1:** where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Chairman/ Member UPSC – Chairman 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi – Member 3. Secretary, Training and Technical Education, GNCT of Delhi – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi
SHEO PRATAP SINGH, Secy., TTE